भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1970

दिनांक 02 अगस्त, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

सरकारी/निजी अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाएं

1970. सुश्री इकरा चौधरी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़, एम्स ऋषिकेश और दिल्ली में केन्द्र सरकार के अस्पतालों के ओपीडी,आईपीडी और आपातकालीन विभागों में संसद सदस्यों के संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों से आने वाले रोगियों की सुविधा के लिए क्या व्यवस्था की गई है;
(ख) उक्त प्रयोजनार्थ अस्पतालों में तैनात अधिकारियों के दूरभाष नम्बर, ई-मेल आदि का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार दिल्ली के निजी क्षेत्र के अस्पतालों में आर्थिक रूप से कमजोर रोगियों को रियायती दर पर चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने में संसद सदस्यों की भूमिका क्या है; और
(घ) इस संबंध में उन्हें किन-किन अधिकारियों के साथ पत्राचार करना है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख): पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (पीजीआईएमईआर), चंडीगढ़, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), ऋषिकेश और दिल्ली केंद्र सरकार के अस्पताल ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली (ओआरएस) के माध्यम से बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी) पंजीकरण प्रदान करते हैं, जिसे https://ors.gov.in के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है।

मरीजों की सुविधा के लिए जनसंपर्क अधिकारियों (पीआरओ) और चिकित्सा सामाजिक सेवा अधिकारियों (एमएसएसओ) का विवरण संबंधित संस्थानों/अस्पतालों द्वारा प्रदान किया जाता है।

(ग) और (घ): माननीय संसद सदस्य चिन्हित निजी अस्पतालों को रेफरल पत्र जारी करने के लिए महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं, एफ-17, कड़कड़डूमा, दिल्ली-110032, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) या प्रभारी, ईडब्ल्यूएस शाखा, तीसरी मंजिल, डीजीडी बिल्डिंग, एस-1 स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली-110092 को अनुशंसा पत्र जारी कर सकते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेश के अनुसार, पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं और उपचार प्राप्त करने के उद्देश्य के लिए अपेक्षित दस्तावेजों को भी माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) सं 2866/2022 में परिभाषित किया गया है।

*****